न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2018

1 विजय कुमार पुत्र जगूराम।
2 सुगन कुमार पुत्र भागीरथमल समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढ़ाणी हाल केढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र हरसुख।
2 करनीराम पुत्र हरसुख।
3 मदनलाल पुत्र नारूराम।
4 रमेश पुत्र जगूराम।
5 कमला पुत्री जगूराम।
6 मोहनी पुत्री जगूराम।
7 प्रेम पुत्री जगूराम।
8 सुभिता पुत्री जगूराम।
9 बनारसी पत्नी जगूराम।
10 राजेश पुत्र भागीरथमल।
11 राजेन्द्र पुत्र भागीरथमल।
12 सुमित्रा स्त्री भागीरथमल।
13 ताराचन्द पुत्री दोला समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढ़ाणी हाल केढ़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा केड।
15 भूमिधारक तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.05.2018
उनवानी रामनिवास आदि बनाम विजय कुमार
प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए मुकदमा नम्बर 80/17

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह बोराण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 80/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने अदालत मातहत में प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत पेश किया है कि उसे जमीन खसरा नम्बर 8 में से तथाकथित रास्ता दिलाया जावे। प्रकरण में समस्त अनावेदकगण की तामील भी नही हुई ना ही उनकी जवाब देही हुई। उक्त उनवानी प्रकरण 23.04.2018 को वास्ते अनावेदक नम्बर 10 की तामील व जवाब दही के लिए आगामी तारिख पेशी 27.04.2018 नियत की थी दिनांक 27.04.2018 अदालत मातहत का पीठासीन अधिकारी दौरे पर होने के कारण तारीख पेशी 17.05.2018 नियत कर दी और दिनांक 17.05.2018 को बिना अनावेदक नम्बर 10 की जवाब देही लिये व जमीन खसरा नम्बर 08 के समस्त सह खातेदारान को पक्षकार बनाये व बिना समुचित सुनवाई किये ही अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से बाला बाला ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि...

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ सीकर ★ सत्यमेव जयते

आदेश 17.05.2018 पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 10.04.2018 को अप्रार्थी संख्या 10 की तलबी हेतु नियत की गई है। दिनांक 23.04.2018 को पत्रावली वास्ते मौका निरीक्षण हेतु नियत की गई है एवं आगामी दिनांक को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.2018 को भू–अभिलेख निरीक्षक केड के साथ पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर विधिक प्रक्रिया की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 10.04.2018 को अप्रार्थी संख्या 10 की तलबी हेतु नियत की गई है। दिनांक 23.04.2018 को पत्रावली वास्ते मौका निरीक्षण हेतु नियत की गई है एवं आगामी दिनांक को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तलबी की कार्यवाही पूर्ण कर अनावेदकगण का जवाब प्राप्त कर सक्षम स्तर पर मौका रिपोर्ट प्राप्त करें तदुपरान्त उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर